"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2007—पौष 28, शक 1928

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-1/2007/रास/यू. 4.—इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) की धारा 12 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं लेफ्टि. जन. (से. नि.) के. एम. सेठ, पी. व्ही. एस. एम., ए. व्ही. एस. एम., कुलाधिपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ निम्नांकित व्यक्तियों की एक समिति, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का पेनल अनुशंसित करने के लिए गठित करता हूं :-

1.	डॉ. के. के. चक्रवर्ती (आईएएस), सचिव, भारत सरकार, सदस्य सचिव एवं न्यासी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली-01	कुलाधिपति द्वारा नामांकित
2.	श्री सुदीप बनर्जी (आईएएस), चांसलर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित

3. प्रो. डॉ. स्वतंत्र बाला शर्मा, अधिष्ठाता, संगीत संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ. प्र.) — कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित

2. साथ ही मैं डॉ. के. के. चक्रवर्ती को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूं.

3. उपर्युक्त समिति, यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

लेफ्टि. जन. (से. नि.) के. एम. सेठ,
पी. व्ही. एस. एम., ए. व्ही. एस. एम.,
कुलाधिपति,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.